कार्यालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी
राजधानी परियोजना टी.टी.नगर भोपाल मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक 02 / बी–113 / 10–11

:: पंजीयन प्रमाण पत्र ::

"**विद्यादीप ट्रस्ट ई–2 / 132 अरेरा कालोनी भोपाल**" का प्रार्थना पत्र मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट सन् 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत न्यास पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त होने पर विधान की धारा 5 / 1 के अंतर्गत आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु एक माह का सूचना पत्र जारी किया गया,जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2010 को प्रकाशित किया गया है,किन्तु नियत अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही हुई।

अतः मै रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट टी.टी.नगर भोपाल मध्यप्रदेश "**विद्यादीप ट्रस्ट ई–2 / 132 अरेरा कालोनी भोपाल**" न्यास को एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत घोषित करता हूं। इसका पंजीयन ट्रस्ट पंजी में कमांक 57 / 10–11 पर दर्ज किया गया है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 25.3.2011 को न्यायालय की मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

दिनांक 25.3.2011

25/3/2011
(उमाशंकर भार्गव)
अनुविभागीय अधिकारी
एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट
राजधानी परियोजना टी.टी.नगर
भोपाल.

PRINCIPAL
ASNANI SCHOOL
Katara, Baghmugalia, Bhopal

ASNANI SCHOOL

Scanned with CamScanner

02/बी-113/2010-11

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट
राजधानी परियोजना, टी0टी0नगर वृत भोपाल

प्रकरण क्रमांक 02 / बी–113 / 10–11

विद्या दीप ट्रस्ट,
द्वारा : जय सूरज नांबियार आ.ए.जयराम नाबियार,
ई–2 / 132 अरेरा कालोनी भोपाल

.... आवेदक

बनाम

.... सर्वसाधारण

:: आ दे श ::

(दिनांक 11 –2–2011 को पारित)

आवेदक न्यास विद्या दीप ट्रस्ट द्वारा जय सूरज नांबियार आ.ए.जयराज नांबियार निवासी ई–2 / 132 अरेरा कालोनी भोपाल ने पंजीयन हेतु म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम –1951 *(जिसे एतदपश्चात संक्षेप मे न्यास अधिनियम सम्बोधित किया जाएगा)* की धारा– 4 के तहत ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदनपत्र तथा रू0 500/– के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर ट्रस्ट डीड व निर्धारित शुल्क रू0 05–00 का चालान जमा कर मूल प्रति प्रस्तुत की है।

2– अधिनियम की धारा–5(1) एवं म0प्र0 लोक न्यास नियम–1962 *(जिसे एतदपश्चात संक्षेप मे न्यास नियम सम्बोधित किया जाएगा)* के नियम –5(1) के प्रावधानानुसार सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई, जिसका प्रकाशन राजपत्र भाग–3(1) दिनांक 31 दिसम्बर 2010 के पृष्ठ क्रमांक 1560 मे तथा दैनिक भास्कर समाचार पत्र मे दिनांक 22 31 दिसम्बर 2010 के अंक में प्रकाशित होकर प्राप्त हुआ । निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। न्यास की ओर से प्रस्तावक ट्रस्टियों के कथन कराये गए। तहसीलदार की ओर से प्राप्त जाच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया।

3– आवेदक पक्ष द्वारा कुल 07 ट्रस्टी होना बताए है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रमांक	नाम	पदनाम	पता
1	श्री जयसूरज नांबियार आ.श्री ए जयराज नांबियार	न्यासी	निवासी ई–2 / 132 अरेरा कालोनी भोपाल
2	श्री ओम प्रकाश कृपलानी आ.स्व. मूलचद कृपलानी	न्यासी	निवासी ई–7 / 71 अशोका हाउसिंग सोसाइटी अरेरा कालोनी भोपाल
3	श्री जी.एम.कृपलानी आ.स्व.मूलचद कृपलानी	न्यासी	निवासी ए–2 / 103 पारस सिटी ई–3 / अरेरा कालोनी भोपाल
4	श्री हरि कृपलानी आ.स्व.श्री मूलचद कृपलानी	न्यासी	निवासी सी–322 एम.पावर बागमुगालिया भोपाल
5	श्रीमती आदित्य असनानी पत्नी श्री विशन असनानी	न्यासी	निवासी ई–2 / 132 अरेरा कालोनी भोपाल
6.	श्रीमती लता कृपलानी पत्नी श्री जी एम कृपलानी	न्यासी	निवासी ए–2 / 103 पारस सिटी ई–3 अरेरा कालोनी भोपाल

रजिस्ट्रार
लोकन्यास राजधानी परियोजना
वृत्त टी.टी.नगर भोपाल

11/2/11
सत्य प्रतिलिपि
तहसीलदार

PRINCIPAL
ASNANI SCHOOL
Katara, Baghmugalia, Bhopal

ASNANI SCHOOL BHOPAL

Scanned with CamScanner

	श्रीमती पूनम गजवानी पत्नी श्री विकास गजवानी	न्यासी	निवासी म.नं.3 प्रिय दर्शिनी पैरामाउंट होशंगाबाद रोड भोपाल

4— न्यास के उद्देश्य —

3.1 विद्यालय,महाविद्यालय,सामाजिक सेवा केन्द्र,औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

3.2 प्रशिक्षण केन्द्र एवं उससे संबंधित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना।

3.3 सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना।

3.4 शिक्षण एवं अध्ययन की सभी शाखाओं विशेषतः विज्ञान एवं तकनीकी शाखाओं का प्रचार,प्रसार व प्रोत्साहन करना।

3.5 राष्ट्रहित के लिये,राष्ट्र की सेवा,भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को प्रोन्नत करना।

3.6 शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं को शिक्षा / अध्ययन की वास्तविक,भावना के आदर्शों व व्यवहार में शिक्षित करने के कार्य करना।

3.7 शिक्षा / अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों व शाखाओं हेतु प्रशिक्षण एवं शोध संस्थानों की स्थापना करना।

3.8 समाज के बहुआयामी विकास हेतु स्वयं अथवा ऐसी समान संस्थाओं,पर्चो, स्मारिकाओं,पत्रों का प्रकाशन,विकय व वितरण करना तथा पुस्तकालय,वाचनालय खोलना तथा उनका रख–रखाव करना।

3.9 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पुस्तकों,सामयिक प्रत्रिकाओं,पर्चो,स्मारिकाओं,पत्रों का प्रकाशन,विकय व वितरण करना तथा पुस्तकालय,वाचलनालय,खोलना तथा उनका रख रखाव करना।

3.10 समाज / न्यास के अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिये औरचारिक,अनौपचारिक,शाला पूर्व,सभी प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम / संचालित करना।

3.11 एक असांप्रदायिक न्यास व धर्म निरपेक्ष संस्था के रूप मे कार्य करना।

3.12 रोजगारोन्मुख केन्द्रो की स्थापना करना।

3.13 उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक या सुविधाजनक चल या अचल संपत्ति अर्जित करना,कय करना या अन्य प्रकार से धारित करना अथा ऋण या पट्टे पर या अस्थाई या स्थाई रूप से किराए पर प्राप्त करना।

3.14 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक या सुविधाजनक चल या अचल सम्पत्ति अर्जित करना,कय करना या अन्य प्रकार के धारित करना अथा ऋण या पट्टे पर या अस्थाई या स्थाई रूप से किराए पर प्राप्त करना।

3.15 जन सामान्य हेतु लाभदायी अन्य कोई भी उद्देश्य को प्रोन्नत करना।

3.16 विज्ञान,शिक्षा,साहित्य आदि क्षेत्रो मे विशिष्ठ व्यक्तियो को उपधिया प्रदान करना।

3.17 उच्च शिक्षा व विशेषकर उभरते हुए क्षेत्रों जैसे कि इलेक्ट्रानिक्स,जैव प्रोद्योगिकी व अन्य संबंधित क्षेत्रों मे शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालयो की स्थापना करना।

3.18 चिकित्सकीय,प्रयोगशालाओं,अस्पतालों,नर्सिंग होम,औषधालयों तथा इसी प्रकृति के अन्य संस्थानों की स्थापना,संचालन व व्यवस्था करना तथा

रजिस्ट्रार

14/2/11

सत्य प्रतिलिपि

PRINCIPAL
ASNANI SCHOOL
Katara, Baghmugalia, Bhopal

ASNANI SCHOOL BHOPAL

Scanned with CamScanner

प्रात्र व्यक्तियों को किसी भी चिकित्सा संस्था में,चिकित्सा उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

3.19 अन्नदान कार्य करने अथवा गरीबो को सीधे व अन्य संस्थानों के माध्यम से आहार उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

3.20 वृद्धाश्रम, व शारीरिक रूप से विकलांग पुरूषों,महिलाओं व बच्चों तथा इसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों हेतु आश्रय स्थलो की स्थापना,संचालन व व्यवस्थापन करना तथा इस प्रकार की गतिविधिया संचालित करने वाली संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

3.21 मन्दिर,मस्जिद,चर्च गुरूद्वारा एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं एवं पूजास्थलों को अनुदान देना किन्तु न्यास कोई धार्मिक गतिविधि संचालित नही करेगा।

3.22 गरीबों को सहायता प्रदान करना तथा जन सामान्य उपयोगी उद्देश्यों को प्रोन्नत करना।

3.23 जरूरतमंद व्यक्तियों तथा गरीब महिलाओं व बच्चों के लिए स्वास्थ्य,शिक्षा व कल्याण संबंधी कार्यक्रम आयोजित व संचालित करना।

3.24 पर्यावरण,वन संरक्षण,वृक्षारोपण तथा पड़त भूमि के व्यवस्थापन के कार्य करना।

3.25 विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। जैसे स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाना जिसमें नेत्र उपचार,मातृत्व,शिक्षा,रक्षण संक्रामक आदि रोगो के उपचार करवाना।

3.26 महामारी से बचाव तथा परिवार नियोजन के स्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकार के उपायों के समर्थन मे कार्य करना।

3.27 समाज / न्यास के गरीब,विधवा,अपंग,अनाथ,वृद्धों,मन्दबुद्धि व अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग के व्यक्तियों की सहायता करना।

3.28 ऐसी मूलभूत चिकित्सा सुविधा,स्वच्छता,सामान्य स्वास्थ्य देखभाल व अन्य उपयोगी सहयोग जन सामान्य को उपलब्ध करवाना,जो उन्हे प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं से होने वाले कष्ट व पीड़ा से निदान मे सहायक हो तथा उनके पुर्नवास हेतु उन्हें सहायता पहुंचाना।

3.29 अपने राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा क्षेत्रीय परिवेश के संतुलन को बनाए रखने हेतु जन सामान्य को भावनात्मक रूप से जाग्रत करने के लिए गतिविधियां संचालित करना।

3.30 अल्प सुविधा प्राप्त व्यक्तियों तथा न्यास के गरीब वर्ग के व्यक्तियों को न्याय एवं उनके अधिकारों के लिए लड़ने हेतु विधिक सहायता व सुविधा उपलब्ध करवाना।

3.31 नौजवानों एवं अन्य व्यक्तियों को परम्परागत खेलो सहित समकालीन खेलों के लिए बढावा देना।

3.32 शहीदों एवं बन्दियों के परिवारों के कल्याण व सहारे हेतु मदद करना।

3.33 पक्षियों व जानवरों के प्रति शोषण के विरूद्ध कार्य करना व उनके संरक्षण हेतु ईमानदारी से प्रयास करना।

3.34 प्रतिवर्ष न्यास का वार्षिक दिवस सामाजिक एवं सास्कृतिक कार्यक्रमों के रूप मे मनाना।

3.35 जनसामान्य के जीवन में आशावादी परिवर्तन लाने के सामाजिक विकास की गतिविधियो या कल्याण कार्यक्रमो को उठाना,प्रारंभ करना या उन्हे सहायता प्रदान करना

14/2/11
सत्य प्रतिलिपि

PRINCIPAL
ASNANI SCHOOL
Katara, Baghmugalia, Bhopal

ASNANI SCHOOL

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

Scanned with CamScanner

3.36 राष्ट्रीय सम्पदा अथवा पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक सम्पदाओं व भवनों के संरक्षणं के कार्य करना।

3.37 महान नेताओं,दार्शनिकों,चिंतको,सुधारकों एवं संतों के दर्शाए गये विचारो एवं लेखो का प्रचार प्रसार करना।

5– न्यास की चल एवं अचल सम्पति –

चल सम्पति – निरंक

अचल सम्पति – 5,000/–

6– विद्या दीप ट्रस्ट''डीड में वर्णित तथ्यों, सम्पति एवं उद्देश्यों के संबंध में पुष्टि तहसीलदार के प्रतिवेदन से होती है। म0प्र0 लोक न्यास नियम–1962 के तहत भोपाल जिले के राजधानी परियोजना, टी0टी0नगर वृत क्षेत्रान्तर्गत न्यास के पंजीयन के संबंधित अधिकार प्राप्त हैं और उक्त न्यास का पंजीयन मेरे कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है । इस न्यास के पंजीयन के संबंध में आपत्तियों आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन म0प्र0 राजपत्र एवं समाचारपत्र में कराया गया, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः एतद्द्वारा मैं उमाशंकर भार्गव रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट,राजधानी परियोजना, टी0टी0नगर वृत भोपाल, आदेश देता हूं कि विद्या दीप ट्रस्ट भोपाल का पंजीयन किया जाय, पंजीयन संबंधी इन्द्राज ट्रस्ट पंजी में करते हुए पंजीयन क्रमांक दिया जाय।

उक्त न्यास द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा :–

1– न्यास को अपना कार्य करते समय हमेशा म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम–1951,म0प्र0 लोक न्यास(संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम–1964 एवं म0प्र0 लोक न्यास नियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना होगा। इन अधिनियमों एवं नियम के विपरीत कोई भी कार्य किसी भी न्यासी/पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

2– म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा–14 (क) के पालन में किसी अचल सम्पति का विक्रय,बंधक, विनिमय अथवा दान और धारा 14 (ख) के पालन में न्यास से संबंधित गैर कृषि भूमि अथवा भवन के मामले में 7 वर्ष से अधिक अवधि का कोई पट्टा पंजीयक की पूर्व मंजूरी के बिना विधिमान्य नहीं होगा ।

3– लोक न्यास की किसी भी सम्पति पंजीयक की पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय नहीं किया जा सकेगा ।

4– अधिनियम की धारा–16 एवं 17 के पालन मे लोक न्यास की चल एव अचल सम्पति से आय–व्यय का लेखा जोखा संधारित किया जाएगा एव तद्नुसार पंजीयक को भेजा जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस ट्रस्ट के पंजीयन में किसी ट्रस्टी या अन्य किसी जन साधारण को कोई आपत्ति हो तो वह एक माह के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

तद्नुसार सूचित हो एवं न्यास का विवरण न्यास पंजी में अंकित किया जाए।

11/2/2011

(उमाशंकर भार्गव)

अनुविभागीय अधिकारी एव

रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट

रा–परि0,टी0टी0नगर वृत

14/2/11

सत्य प्रतिलिपि

PRINCIPAL

ASNANI SCHOOL

Katara, Baghmugalia, Bhopal

Scanned with CamScanner